

आईटीपीओ द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में 14-27 नवंबर, 2025 तक आयोजित किए जाने वाले 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में टी बोर्ड भारत के साथ भागीदारी के लिए परिपत्र

संदर्भ सं. संव-एनएटीएल0ईएक्सबीआई/8/2025

दिनांक: 10.1;2025

क. उद्देश्य

भारतीय जनता के मन में चाय की सकारात्मक छवि को सुदृढ़ करना, साथ ही खपत बढ़ाने के उद्देश्य से चाय को पसंदीदा पेय के रूप में बढ़ावा देना।

ख. परिचय

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा भारत में आयोजित सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में से एक है। टी बोर्ड गत कई वर्षों से इस प्रदर्शनी में भाग लेता रहा है।

इस आयोजन के महत्व को देखते हुए, टी बोर्ड भारत, आईटीपीओ द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में 14-27 नवंबर, 2025 तक आयोजित किए जाने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) के 44वें संस्करण में भागीदारी के लिए इच्छुक हितधारकों से आवेदन आमंत्रित करता है।

ग. आवेदनों की प्राप्ति और जांच

1. टी बोर्ड इंडिया के साथ आईआईटीएफ 2025 में भाग लेने के लिए सभी आवेदन आवेदक द्वारा सर्विसप्लस पोर्टल (<https://serviceonline.gov.in>) पर ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।
2. आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, एक विशिष्ट आईडी (संदर्भ सं.) के साथ एक पावती स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। यह पावती आवेदन प्राप्ति की पुष्टि है और इससे आवेदक योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता का हकदार या पात्र नहीं बनता।
3. आवेदन की जांच टी बोर्ड द्वारा की जाएगी तथा आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना दी जाएगी।
4. ऐसे अनुपालन की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों की कमी के कारण अपूर्ण किसी भी आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

घ. पात्रता मानदंड

1. 1. टीएमसीओ 2003/ टीडीईसीओ के अनुसार पंजीकृत भारतीय चाय कंपनियां
2. 2. आवेदकों को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी कि वे व्यापार और व्यवसाय से संबंधित किसी भी आधार पर किसी भी जांच/आरोप/मुकदमा/निषेध/काली सूची में शामिल नहीं हैं और/या अन्यथा

ड शर्तें

1. कार्यक्रमों में केवल भारतीय चाय का ही प्रदर्शन, नमूना और प्रदर्शन किया जाना चाहिए। जिन भारतीय चायों में कैमेलिया साइनेंसिस मुख्य घटक नहीं है, साथ ही भारत के अलावा अन्य मूल की चायों का प्रदर्शन, नमूना/बिक्री/प्रचार किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। टी बोर्ड के साथ घरेलू मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए, प्रत्येक आवेदक को यथासंभव न्यूनतम विशिष्ट स्थान प्रदान किया जाना चाहिए।
2. प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका प्रदर्शन सौंदर्यपूर्ण ढंग से रखा गया है और प्रदर्शनी की पूरी अवधि के दौरान उन्हें आवंटित स्थान पर समुचित रूप से लोग मौजूद हैं।
3. प्रदर्शनी लगाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि, अधिमानतः वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के होने चाहिए। कार्यक्रम समाप्त होने से पहले स्टॉल खाली छोड़ना गंभीरता से लिया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप टी बोर्ड द्वारा अगले कार्यक्रम में भागीदारी अस्वीकार की जा सकती है।
4. समूह कंपनियों के लिए केवल एक आवेदन पर विचार किया जाएगा, जहां पूरे समूह को एक आवेदक माना जाएगा।
5. यदि प्रतिभागी, जिसने भागीदारी की पुष्टि कर दी है, कार्यक्रम शुरू होने से एक महीने पहले भागीदारी से पीछे हट जाता है तो अग्रिम भागीदारी शुल्क और आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
6. किसी विशेष कार्यक्रम/मेला/प्रदर्शनी में उपलब्ध स्थान की तुलना में आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में, महत्व के अवरोही क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों को वरीयता दी जाएगी:
 - i. मूल्यवर्धित/जैविक चाय/विशेष चाय का कारोबार करने वाली कंपनियां/आवेदक
 - ii. एमएसएमई
 - iii. लघु चाय उत्पादक/स्टार्ट अप
 - iv. बड़ी कंपनियां
7. किसी विशेष श्रेणी में प्रतिभागियों की संख्या अधिक होने पर, उस विशेष श्रेणी के लिए आवेदकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। एसटीजी को स्टॉल के लिए किसी भी शुल्क से छूट दी जाएगी, सिवाय प्रत्येक आवेदक के लिए 1000/- रुपये + जीएसटी के भागीदारी शुल्क के भुगतान के। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लघु उत्पादकों के लिए कोई भागीदारी शुल्क नहीं होगा।

8. टी बोर्ड केवल बुनियादी सुसज्जित स्टॉल स्थान उपलब्ध कराएगा। अन्य सभी आवश्यकताएँ जैसे आवास, नमूना उपकरण, लॉजिस्टिक्स, अतिरिक्त फर्नीचर, साज-सज्जा आदि और अन्य आकस्मिक शुल्क कंपनी द्वारा ही वहन किए जाएँगे।
9. स्व-घोषणा कि कंपनी ने किसी विशेष आयोजन के लिए सरकार की किसी अन्य योजना या किसी अन्य सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन से लाभ नहीं लिया है और न ही लेगी।
10. कंपनियों के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों का चार्टर्ड लेखा प्रमाणित वार्षिक टर्नओवर प्रमाणपत्र

च. आवेदन प्रस्तुत करना

1. प्रत्येक विशिष्ट आयोजन के लिए आवेदनों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब उन्हें टी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। **44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) में भाग लेने के लिए सर्विस प्लस पोर्टल पर आवेदन और भागीदारी शुल्क सहित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 01.11.2025 है।**
2. यदि आयोजन में संयुक्त भागीदारी के लिए अपेक्षित कंपनियों की संख्या उपलब्ध नहीं है, जिससे टी बोर्ड के पास उपलब्ध स्थान का इष्टतम उपयोग किया जा सके, तो टी बोर्ड अंतिम तिथि को बढ़ा सकता है।
3. यदि आवेदन करने वाली कंपनियों की संख्या टी बोर्ड के पास उपलब्ध स्थान से अधिक हो जाती है, तो उनका चयन उपरोक्त अनुच्छेद 6 और 7 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। हालाँकि, किसी भी चयनित कंपनी द्वारा आवेदन रद्द करने या वापस लेने की स्थिति में, प्राथमिकता सूची में अगली पात्र कंपनी को अवसर प्रदान किया जाएगा।

छ. आवेदन शुल्क

- 1) आवेदन शुल्क के रूप में 5,000/- रुपये + जीएसटी जमा करना होगा। लघु चाय उत्पादकों को वैध स्मार्ट कार्ड के साथ 1000/- रुपये + जीएसटी का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को इससे छूट दी गई है।
- 2) आवेदन के समय जमा की जाने वाली भागीदारी शुल्क के रूप में 50,000/- रुपये (केवल पचास हजार रुपये) का अग्रिम भुगतान। स्टार्ट-अप्स (स्टार्ट-अप इंडिया के अंतर्गत पंजीकृत) के मामले में लागू नहीं। स्टार्ट-अप्स को लागू भागीदारी शुल्क बाद में देना होगा।
- 3) यदि कोई चयनित प्रतिभागी कार्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि से एक माह पूर्व तक अपना नाम वापस ले लेता है, तो उसका आवेदन और भागीदारी शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

ज. आवेदनों की जांच

प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और आवेदक कंपनियों की भागीदारी के बारे में यथाशीघ्र सूचना दी जाएगी।

1. मंजूरी जारी करना

आवेदनों की जाँच पूरी होने पर, निधि की उपलब्धता के आधार पर, भागीदारी की स्वीकृति की सूचना दी जाएगी। यात्रा, आवास और भोजन आदि की व्यवस्था प्रतिभागियों को स्वयं करनी होगी।

झ. गतिविधि के पूरा होने के संबंध में सूचना

प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम के समापन की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर कार्यक्रम के बारे में रिपोर्ट और फीडबैक, उत्पन्न जागरूकता, प्राप्त आदेश आदि प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

ञ. सहायता का पैमाना:

- 1) सुसज्जित स्टाल की कुल लागत का 60%।
- 2) स्टार्ट-अप के मामले में उनके सुसज्जित स्टॉल के लिए कुल लागत का 80%।
- 3) दोनों पक्षों की ओर से यदि कोई अतिरिक्त निधि होगी तो उसे कार्यक्रम के समापन के बाद अंतिम गणना के आधार पर समायोजित (वापस/वसूली) कर दिया जाएगा।
- 4) टी बोर्ड केवल बुनियादी सुसज्जित स्टॉल स्थान उपलब्ध कराएगा। अन्य सभी आवश्यकताएँ जैसे आवास, नमूना लेने के उपकरण, रसद, अतिरिक्त फर्नीचर, साज-सज्जा आदि और अन्य आकस्मिक शुल्क प्रतिभागी द्वारा स्वयं वहन किए जाएँगे।